



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

सं०-840-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2018-21-प्र०सु०/2001, दिनांक ०४ 08.2018

कार्यालय-ज्ञाप

विद्युत वितरण निगमों के कार्यकलापों को सुचारु एवं प्रभावी रूप से संचालित एवं निष्पादित करने के उद्देश्य से कार्यालय ज्ञाप संख्या-310-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2010-21-प्र०सु०/2001, दिनांक 28.04.2010 को अवक्रमित करते हुए वितरण निगमों एवं ट्रान्सको के प्रबन्ध निदेशकों को पूर्व प्रतिनिधानित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के अतिरिक्त एतद्वारा सभी सहयोगी वितरण निगमों, केस्को एवं ट्रान्सको के प्रबन्ध निदेशकों को अभियन्त्रण संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य संवर्गों में समकक्ष स्तर तक के अधिकारियों के सम्बन्ध में समस्त अनुशासनिक एवं प्रशासनिक अधिकार (उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में आमेलित अधिकारियों/कार्मिकों की सेवा समाप्ति (Dismissal) के अधिकार को छोड़कर) प्रदान किया जाता है। इसके फलस्वरूप विद्युत वितरण निगमों, केस्को एवं ट्रान्सको के प्रबन्ध निदेशक इन कार्मिकों के स्थानान्तरण, लघु दण्ड/वृहद दण्ड एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।

2. वितरण निगमों, केस्को एवं ट्रान्सको द्वारा समस्त प्रकार की अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कार्यवाहियाँ (जिसमें सम्प्रेक्षा एवं सतर्कता से सम्बन्धित प्रकरण भी सम्मिलित होंगे) सम्पादित की जायेंगी।
3. उक्त अधिकारों के प्रतिनिधायन के पश्चात भी डिस्कॉम्स के कार्यक्षेत्र के किसी भी प्रकरण हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि० को अनुशासनिक प्राधिकारी नामित करने हेतु अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० सक्षम होंगे।
4. जिन प्रकरणों में वृहद दण्ड दिया जाता है, उन्हें निदेशक मण्डल, उ०प्र०पा०का०लि० के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. इस परिप्रेक्ष्य में संगत सेवा नियम/विनियमावली उक्त सीमा तक स्वयमेव संशोधित माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं०-840(i)ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव सम्बद्ध अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, केस्को लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।

(2)

6. समस्त निदेशक गण उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र०पा० ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण निगम लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार/शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय व्ययक)/(निधि)/(प्रशासन) एवं (सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/महालेखाकार (आडिट) द्वितीय, द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, समस्त विद्युत वितरण निगम लि०।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
17. समस्त उप सचिव/अनु सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. समस्त अधिकारी/शिविर/अनुभाग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
आर०के० गुप्ता
(आर०के० गुप्ता)

संयुक्त सचिव (ज०शा० एवं प्रशा०)